(259)

10रु. COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1867/2012 पुनरीक्षण

नवीन प्रकरण - 1867/2012

R 1867-II/12

श्रीमती लीलादेवी खरे पत्नि श्री हेमन्तकुमार खरे,
निवासी आलमपुरा, तहसील पलेरा, जिला
टीकमगढ़ (म०प्र०) --- आवेदिका

बनाम

श्रीमती गजरादेवी खरे पत्नि लक्ष्मीप्रसाद खरे,
निवासी आलमपुरा, तहसील पलेरा, जिला
टीकमगढ़ (म०प्र०) --- अनावेदिका

आज दि. 27-6-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता १९५९
विरुद्ध आदेश दिनांकित ७-५-१२ पारित द्वारा कलेक्टर,
टीकमगढ़, प्रकरण क्रमांक ८६बी।१२१।२०१०-११ उनवान
श्रीमती गजरादेवी खरे बनाम लीलादेवीखरे ।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भुमि आवेदिका के हित में सम्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर विधिवत् नामान्तरण पंजी क्रमांक ३८ पर दि०४-९-०४ को किया गया तत्पश्चात् शासकीय अभिलेख खसरा में इन्द्राज होकर ऋण पुस्तिका प्रदान की, जिसके खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी, निवाडी के न्यायालय में अनावेदक द्वारा की गयीअपील लंबित थी । जिसमें अनेकों तिथियां नियत की गयी, बिना ~~तामील~~ तारीख पेशी के एक आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत किया.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1867-दो/2012 जिला टीकमगढ़ लीलादेवी विरूद्ध गजरादेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 86/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 07-05-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 01/2/2019 सदस्य	